He Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1727] No. 1727] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 11, 2008/अग्रहायण 20, 1930 NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 11, 2008/AGRAHAYANA 20, 1930

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 दिसंबर, 2008

का.आ. 2862(अ).—केंद्रीय सरकार, स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 42 की उप-धारा (1) और धारा 67 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तटरक्षक अधिनियम, 1978 (1978 का 30) के अधीन गठित तटरक्षक के अधिकारियों (राजपत्रित पंक्ति) को उनकी अधिकारिता के क्षेत्रों के भीतर, धारा 42 में विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करने के लिए सशक्त करती है और उक्त अधिकारियों को धारा 67 के अधीन उनको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए भी प्राधिकृत करती है।

[फा. सं. वी/43/2005-एन. सी.-II] तजबीर सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) NOTIFICATION

New Delhi, the 11th December, 2008

S.O. 2862(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 42 and Section 67 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government hereby empowers the officers of the Coast Guard (Gazetted Rank) constituted under the Coast Guard Act, 1978 (30 of 1978) to exercise the powers and perform the duties specified in Section 42, within the areas of their jurisdiction and also authorizes

the said officers to exercise the powers conferred upon them under Section 67.

[F. No. V/43/2005-NC-II]

TAJBIR SINGH, Under Secy.

अधिसचना

नई दिल्ली, 11 दिसंब , 2008

का.आ. 2863(अ).— केंद्रीय साकार, स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 41 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, तटरक्षक अधिनियम, 1978 (1978 का 30) के अधीन गठित तटरक्षक के अधिकारियों (राजपत्रित पंक्ति) को उनकी अधिकारिता के क्षेत्रों के भीतर, धारा 41की उप-धारा (2) में विनिर्दिष्ट शिक्तयों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करने के लिए सशक्त करती है।

[फा. सं. वी/43/2005-एन. सी.-11]

तजबीर सिंह, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th December, 2008

S.O. 2863(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 41 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government hereby empowers the officers of the Coast Guard (Gazetted Rank) constituted under the Coast Guard Act, 1978 (30 of 1978) to exercise the powers and perform the duties specified in sub-section (2) of Section 41, within the areas of their jurisdiction.

[F. No. V/43/2005-NC-II] TAJBIR SINGH, Under Secy.

4851 GI/2008

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 दिसंबर, 2008

का.आ. 2864(अ).— केंद्रीय सरकार, स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 53 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कते हुए, तटरक्षक अधिनियम, 1978 (1978 का 30) के अधीन गठित तटरक्षक के अधिकारियों (राजपत्रित पंक्ति) को उनकी अधिकारिता के क्षेत्रों के भीतर, धारा 53(1) में विनिर्दिस्ट शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करने के लिए सशक्त करती है।

[फा. सं. वी/43/2005-एन.सी.-II] तजबीर सिंह, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th December, 2008

S.O. 2864(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 53 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government hereby empowers the officers of the Coast Guard (Gazetted Rank) constituted under the Coast Guard Act, 1978 (30 of 1978) to exercise the powers and perform the duties specified in Section 53(1), within the areas of their jurisdiction.

[F. No. V/43/2005-NC-II] TAJBIR SINGH, Under Secy.